अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 21/2016-सीमाशुल्क

सा0का0नि0. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष संख्या 9801 की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 42/96-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो सा.का.नि.सं0 294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित है, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 41 के सामने विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए "शीतागार, शीतकक्ष (जिसके अंतर्गत कृषि स्तर पूर्व शीतक भी है)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "शीतागार, शीतकक्ष (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी है), पूर्व प्रशीतन इकाई, प्रशीत श्रृंखला, जिसके अंतर्गत पूर्व प्रशीतन इकाई, पैक हाउस, छंटाई और श्रेणीकरण लाइन और पक्वन कक्ष भी है" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.17/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा, सा.का.नि.सं. 190(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।